APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.... मुकाम ....कोटा....

....सरकार.... बनाम ....नरेन्द्र खण्डेलवाल....

किस्म मुकदमा ....L.R. Act - 136.... नं. ....127.... सन् ....2025....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/10/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ....17/10/25.... को पेश हो।	
17/10/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम सकतपुरा के खाता संख्या 107 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 464 दिनांक 03.04.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम नरेन्द्र खण्डेलवाल आ0 श्रीनाथ खण्डेलवाल नाम की डबल बार एन्ट्री हो रही है। जबकि नरेन्द्र खण्डेलवाल आ0 श्रीनाथ खण्डेलवाल की एक प्रविष्टि पूर्व में भी दर्ज थी। उक्त नामान्तरण द्वारा जबकि नरेन्द्र खण्डेलवाल आ0 श्रीनाथ खण्डेलवाल की 2 बार प्रविष्टी दर्ज हुई। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 202503123104157 दिनांक 03.04.2025 से क्रेता की 2 बार एन्ट्री हो गई है जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम सकतपुरा के खाता संख्या 107 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 464 दिनांक 03.04.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम नरेन्द्र खण्डेलवाल आ0 श्रीनाथ खण्डेलवाल नाम की डबल बार एन्ट्री हो गई है। उक्त त्रुटी स्वतः स्वीकृत नामा0 के कारण सहवन से हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम सकतपुरा के खाता संख्या 107 में नरेन्द्र खण्डेलवाल आ0 श्रीनाथ खण्डेलवाल की डबल एन्ट्री को एक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक ....17/10/25.... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी — seal) गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	